संख्या 91 /192/XXXIV/सू0प्रौ0/2008

प्रेषक,

आर0के0 मिश्र
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

निदेशक
आई0टी0डी0ए0
93, फेस–II
वसन्त विहार
देहरादून

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग देहरादून: दिनांक 02 मार्च 2009

विषय:– स्वान योजना की PoP के आगणनों के सापेक्ष धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया एन0आई0सी0 के पत्र संख्या NIC/USU/2009–02/846 दिनांक 02 फरवरी 2009 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से जनपद हरिद्वार की विभिन्न PoP से सम्बन्धित शासन में प्राप्त आगणनों का परीक्षण टी0ए0सी0 वित्त विभाग से कराया गया। टी0ए0सी0 वित्त विभाग द्वारा परीक्षणोपरान्त धनराशि रू0 33.98 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 33.23 लाख की स्वीकृति प्रदान की है। स्वीकृत धनराशि का विवरण निम्नानुसार है।

SN	Locations	Demand of Amount (In Rs Lacs)	Amount recommended by TAC (In Rs Lacs)
1.	BHQ Bahdrabad	7.29	7.14
2.	THQ Roorkee	4.93	4.78
3.	BHQ Narsan	7.24	7.09
4.	BHQ Bhagwanpur	7.23	7.08
5.	BHQ Khanpur	7.29	7.14
6.	Net Amount for release for Haridwar district for total 5 locations out of total 8	33.98 Lacs	33.23

उक्त स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है।

1. कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं

है अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

II. कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

III. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी राशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

IV. एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमादन प्राप्त कर लिया जाय।

V. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

VI. निर्माण सामग्री क्रय करने से पूर्व मानकों एवं स्टोर पर्चेज नियमों का कडाई से पालन किया जाय।

VII. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से कार्य स्थल का भली-भाँति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

VIII. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

IX. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कडाई से पालन करने का कष्ट करें।

2— आई0टी0डी0ए0 द्वारा स्वान योजना की विभिन्न PoP के लिये जनपद हरिद्वार को ड्राफ्ट संख्या 154929 दिनांक 21.03.2007 द्वारा धनराशि रू0 1.38 लाख ड्राफ्ट संख्या 155550 दिनांक 26.05.2007 द्वारा रू0 1.56 लाख ड्राफ्ट संख्या 155937 दिनांक 03.07.2007 द्वारा रू0 1.57 लाख एवं चेक संख्या 326020 दिनांक 05.02.2009 द्वारा रू0 13.87 लाख कुल धनराशि रू0 18.38 लाख उपलब्ध करायी जा चुकी है। जनपद हरिद्वार के लिये टी0ए0सी0 की संस्तुति के उपरान्त PoP के आगणनों की कुल लागत धनराशि रू0 13.87+33.23 = रू0 47.10 लाख

बनती है। इस प्रकार जनपद हरिद्वार को धनराशि रू0 47.10— 18.38 = रू0 28.72 लाख और अवमुक्त की जानी है।

3— इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया जिलाधिकारी हरिद्वार को स्वान योजना की PoP हेतु धनराशि रू0 28.72 लाख अवमुक्त करने का कष्ट करें।

4— टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त उपलब्ध करायी गयी आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक:- यथोक्त

भवदीय

(आर0के0 मिश्र)
अपर सचिव

संख्या 91 /192/XXXIV/सू0प्रौ0/2008 तदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
2. राज्य सूचना अधिकारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(हरिओम)
संयुक्त सचिव